

राजस्थान सरकार  
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक: एफ 15(7)(5)/विधि/आईसीडीएस/2016-17

जयपुर, दिनांक :

1. समस्त उप निदेशक, मबावि।
2. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी।
3. समस्त प्रभारी अधिकारी वाद,.....मुख्यालय।

विषय:- लाईटस वेबसाईट पर दर्ज न्यायिक प्रकरणों की समीक्षा बैठक बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लाईटस सॉफ्टवेयर पर दर्ज न्यायिक प्रकरणों की समीक्षा हेतु उप शासन सचिव एवं राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी, लाईटस, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिनांक 30.05.2018 को बैठक आयोजित कर बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 31.05.2018 (प्रति संलग्न) के अनुसार प्रकरणों की समीक्षा कर लाईटस सॉफ्टवेयर पर अपडेशन की सूचना न्याय विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संबंधित प्रभारी अधिकारी उक्तानुसार संलग्न बैठक कार्यवाही विवरण के संबंध में अपेक्षित कार्यवाही कर लाईटस सॉफ्टवेयर पर अपडेट/इन्द्राज कराना सुनिश्चित करे। उक्त निर्देशों की पूर्ण पालना की जावे अन्यथा विपरीत स्थिति में समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

-sd-

अति.निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ 15(7)(5)/विधि/आईसीडीएस/2016-17 103856-59 जयपुर, दिनांक : 8.6.18  
प्रतिलिपि

1. निजी सचिव, शासन सचिव, मबावि, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, आईसीडीएस, राज. जयपुर।
3. राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी लाईटस एवं उप शासन सचिव, मबावि विभाग, राज. जयपुर।
4. उप निदेशक एवं एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, (कम्प्यूटर) मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु प्रेषित है।

अति.निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

